(५५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/3823 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.07.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 59/अपील/16-17.

शिवनारायण पाल आ. स्व. श्री शेर सिंह पाल
निवासी ग्राम गनेरा, तहसील बाबई,
जिला होशंगाबाद, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन .....अनावेदक

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 17.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम गनेरा, तहसील बावई स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 263/2 रकबा 0372 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 264/1 रकबा 0.930 हैक्टेयर कुल रकबा 1.292 हैक्टेयर में आवेदक द्वारा 1.00 हैक्टेयर भूमि गेहूँ की फसल बोकर अतिक्रमण किये जाने का प्रतिवेदन पटवारी द्वारा तहसीलदार, बावई के समक्ष प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 248 के तहत आवेदक के विरूद्ध प्रकरण क्र. 222/अ-68/15-16 दर्ज कर आवेदक को नोटिस जारी कर नोटिस का संतोषजनक जवाब प्राप्त न होने की दशा में दिनांक 25.05.2016

को आदेश पारित कर बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत के अनुसार 3,80,000/- रू. की राशि आवेदक पर अधिरोपित कर एक सप्ताह में शासकीय भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25.11.2016 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17.07.2017 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) संबंधित पटवारी द्वारा बिना सीमांकन किये वास्तविकता के विपरीत शासकीय भूमियों के अंदाज से नक्शे बनाकर शासकीय भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण बतलाते हुए तहसीलदार के समक्ष असत्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

(2) आवेदक की ओर से पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदक द्वारा निवेदन किया गया था कि मौके पर भूमि का यथार्थ रूप से सीमांकन किया जावे।

(3) जवाब के उपरांत तहसीलदार को अतिक्रमण बावत् उचित रूप से जांच करना चाहिए थी, क्योंकि प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया सीमांकन किये जाने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल पटवारी के कथन के आधार पर आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता।

(4) तहसीलदार को पटवारी के प्रतिपरीक्षण के लिए आवेदक को अवसर दिया जाना चाहिए था साथ ही जवाब के समर्थन में अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को अवसर दिया जाना चाहिए था। अवसर न दिये जाने के उपरांत पारित आदेश विधि विरूद्ध है।

(5) जहां अतिक्रमण बावत् अभिलेख पर कोई ठोस साक्ष्य न हो, वहां भूमि के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत के मान से आवेदक पर जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। प्रावधान अनुसार बाजार मूल्य की 20 प्रतिशत राशि तक का जुर्माना

अधिकतम हो सकता है। प्रकरण की परिस्थिति में अधिकतम जुर्माना लगाना गैरवाजिब है। पारित किया गया ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(6) पटवारी ने निम्न न्यायालय के समक्ष मौके का वास्तविक नक्शा न प्रस्तुत करते हुए हाथ से बना हुआ अनुमानित नक्शा प्रस्तुत किया है, जो पटवारी द्वारा की गई गंभीर त्रुटि का प्रमाण है। ऐसे नक्शे के आधार पर प्रस्तुत प्रतिवेदन को संदेहास्पद माना जाना चाहिए था, ऐसा न कर दोनों निम्न न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष दिया है।

(7) शासकीय भूमि पर आवेदक द्वारा यदि अतिक्रमण किया गया है, तब अतिक्रमण किये जाने के तथ्य को सिद्ध करने का भार अतिक्रमण करना कहने वाले पर है, न कि आवेदक पर। उल्लेखनीय है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2017 के अनुसार निम्न न्यायालयों के आदेशों को स्थिर रखते हुए यह आदेश देना कि आवेदक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कि यह सिद्ध होता हो कि आवेदक द्वारा वादग्रस्त शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है, पूर्व के अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि ही है, ऐसी पुष्टि विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

(8) आवेदक की ओर से स्थल के कब्जे एवं स्वत्व की भूमि खसरा नं. 260/3 एवं 263/3 का सीमांकन किया जाने बावत् माह जून 2016 में आवेदन किया है, किंतु आज दिनांक तक भूमि का सीमांकन नहीं किया गया है। इससे भी स्पष्ट है कि संबंधित पटवारी आवेदक पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का झूठा आरोप लगाये रखकर परेशान करना चाहते हैं।

(9) यदि मौके पर सीमांकन किया जाता है तथा शासकीय भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण पाया जाता है, तब आवेदक तत्काल अतिक्रमण की भूमि छोड़ने के लिए तैयार है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा किसी भी न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे सिद्ध हो कि आवेदक द्वारा वादग्रस्त शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 248 के तहत विधिसंगत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ

न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर